

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 13184/2016

07 .10.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री प्रहलाद शर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अयाची को रिट याचिका के कारण बताओ नोटिस चार सप्ताह की वापसी के लिए जारी किये जावे तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार करते हुए तामील कराने हेतु उन्हें दस्ती दिये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे, तब तक आक्षेपित आदेश दिनांक 12.04.2016 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है।

यह आदेश अयाची पर नोटिस तामील होने पर ही प्रभावी होगा।

(न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता)

बीएलजैन/ 54